

## कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों पर संलग्न सूची में अध्यापकों को डीपीसी वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदों पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 20.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिकों को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

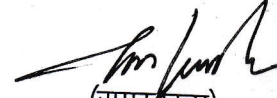
1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करें।  
2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है, उन्हें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जि.शि.अ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

  
(रामसरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षाविभाग,कोटा  
दिनांक: 14.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/ 408

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
- 3- निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बून्दी/बोरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

  
उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षाविभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

क्रमांक : 408

दिनांक 14.09.2018

विषय : वरिष्ठ अध्या.विशेष शिक्षा

| क्र.सं. | मण्डल वरि क्रमांक | अवधि    | डीपीसी चयन वर्ष | नाम कार्मिक                | वर्ग | वर्तमान पदस्थापन स्थान | जिला     | जन्म तिथि | वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान | जिला   |
|---------|-------------------|---------|-----------------|----------------------------|------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 1       | 1660              | 2007-10 | 2018-19         | भंवरलाल मीणा               | अजजा | बीआरसी डग              | झालावाड़ | 02-07-80  | राउमावि अलोद ,हिण्डोली              | बून्दी |
| 2       | 103.1             | 2010-12 | 2018-19         | मोहिनी तिवारी              |      | उप्रावि अस्तोली बून्दी | बून्दी   | 23-09-76  | राउमावि गुढानाथावतान,बून्दी         | बून्दी |
| 3       | 690               | 2012-13 | 2018-19         | राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी |      | एसएसए बारां            | बारां    | 01-07-84  | राउमावि अन्ता                       | बारां  |
| 4       | 1819              | 2012-13 | 2018-19         | पंकज शर्मा                 |      | एसएसए के.पाटन          | बून्दी   | 03-01-86  | राउमावि लाखेरी,के. पाटन             | बून्दी |

  
(रामस्वरूप) 14-9-18

उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग,कोटा

## कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशङ्गानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन शृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य/हेडटीचर) के पदों पर संलग्न सूची में अध्यापकों को डीपीसी वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदों पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 20.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिकों को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

- 1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करें।
- 2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है, उन्हें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अधीन रहेगे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

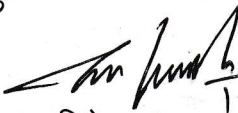
संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

  
(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षाविभाग,कोटा  
दिनांक: 14.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/407  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
- 3- निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

  
14.9.18  
उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षाविभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 407

दिनांक 14.09.18

विषय : वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

| क्र.सं. | मण्डल वरि क्रमांक | अवधि  | डीपीसी चयन वर्ष | नाम अध्यापक       | वर्ग | वर्तमान पदस्थापन स्थान           | जिला    | जन्मतिथि | वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान      | जिला    |
|---------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|------|----------------------------------|---------|----------|------------------------------------------|---------|
| 1       | 1432              | 88-98 | 2018-19         | नसरीन फातमा       |      | बामावि ईश्वरनगर, के.पाटन, बून्दी | बून्दी  | 01-12-71 | प्रअ-राउप्रावि झरनिया की झोपडिया के.पाटन | बून्दी  |
| 2       | 1433              | 88-98 | 2018-19         | हिमानी शर्मा      |      | उमावि जमीतपुरा, बून्दी           | बून्दी  | 21-04-65 | प्रअ-राउप्रावि बृजनगर, सांगोद            | कोटा    |
| 3       | 1435              | 88-98 | 2018-19         | अल्का शर्मा       |      | उमावि चतरगंज, हिण्डोली           | बून्दी  | 04-11-68 | प्रअ-राउप्रावि दांता, हिण्डोली           | बून्दी  |
| 4       | 1460              | 88-98 | 2018-19         | सरिता सिसोदिया    |      | उमावि सुभाषनगर, कोटा             | कोटा    | 22-07-73 | प्रअ-राउप्रावि गुडाबरड, तालेडा           | बून्दी  |
| 5       | 3611              | 88-98 | 2018-19         | बालचन्द पाटीदार   |      | उमावि कडोदिया, सुनेल, झालावाड    | झालावाड | 26-11-64 | प्रअ-राउप्रावि दुबलिया, सुनेल            | झालावाड |
| 6       | 3627              | 88-98 | 2018-19         | गणेश नारायण शर्मा |      | उमावि नारायणखेडा, भवानीमण्डी     | झालावाड | 10-06-64 | प्रअ-राउप्रावि गंगधार, डग                | झालावाड |
| 7       | 3647              | 88-98 | 2018-19         | बालचंद मेवाडा     |      | रामावि सांकरिया, डग              | झालावाड | 15-09-65 | प्रअ-राउप्रावि गुणदी, खैराबाद            | कोटा    |
| 8       | 3658              | 88-98 | 2018-19         | अब्दुल शरीफ       |      | उमावि खण्डी, खानपुर              | झालावाड | 03-07-66 | प्रअ-राउप्रावि गादिया महेश अकलेश         | झालावाड |
| 9       | 3659              | 88-98 | 2018-19         | रमण नामदेव        |      | प्रावि उम्मेदपुरा, झा.पा.        | झालावाड | 01-06-66 | प्रअ-राउप्रावि मूण्डला, सुनेल            | झालावाड |
| 10      | 3664              | 88-98 | 2018-19         | जगदीश लाल मालव    |      | रामावि अर्जुनपुरा, म.थाना        | झालावाड | 04-06-63 | प्रअ-राउप्रावि जूनापानी, म.थाना          | झालावाड |
| 11      | 3666              | 88-98 | 2018-19         | त्रिलोक चंद मालव  |      | उमावि खेरखेडा, म.थाना            | झालावाड | 21-06-65 | प्रअ-राउप्रावि मालोनी, छीपाबडौद          | बारां   |
| 12      | 3667              | 88-98 | 2018-19         | भगवान दास सोनी    |      | उमावि दांगीपुरा, म.थाना          | झालावाड | 01-10-65 | प्रअ-राउप्रावि कुण्डीबेह, म. थाना        | झालावाड |
| 13      | 3670              | 88-98 | 2018-19         | राम प्रसाद नागर   |      | उमावि कंवरपुरा, खानपुर           | झालावाड | 08-07-64 | प्रअ-राउप्रावि गोलखेडी, डग               | झालावाड |
| 14      | 3678              | 88-98 | 2018-19         | विष्णु प्रसाद     |      | राउमावि काचरी, अन्ता             | बारां   | 02-05-64 | प्रअ-राउप्रावि निमोदा, के.पाटन           | बून्दी  |
| 15      | 3683              | 88-98 | 2018-19         | गंगा राम गुर्जर   |      | राबाउमावि भवानीमण्डी             | झालावाड | 15-07-67 | प्रअ-राउप्रावि ढाबला, डग                 | झालावाड |
| 16      | 1191-I            | 98-05 | 2018-19         | मूल चन्द मीणा     | ST   | मावि गंभीरा नैनवां               | बून्दी  | 06-07-65 | प्रअ-राबाउप्रावि तलवास, नैनवां           | बून्दी  |
| 17      | 1197              | 98-05 | 2018-19         | रामचरण मीणा       | ST   | उप्रावि धरावन, के.पाटन           | बून्दी  | 24-02-68 | प्रअ-राउप्रावि गोठडा, के.पाटन            | बून्दी  |
| 18      | 1564              | 98-05 | 2018-19         | शम्भूदयाल मेहर    | SC   | उमावि नाहरगढ, किशनगंज, बारां     | बारां   | 01-04-72 | प्रअ-राउप्रावि खेडला, किशनगंज            | बारां   |

(रामस्वरूप) 14.9.18  
उपनिदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, कोटा

## कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति पुनरावलोकन की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पदो पर संलग्न सूची में अध्यापको को डीपीसी वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदो पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयो मे पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे ।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 20.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानो का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिको को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नही करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

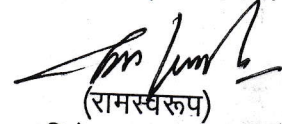
1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।  
2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे ।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेगे । जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओ व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 मे प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगे ।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित /वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

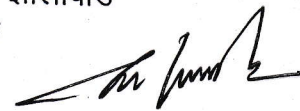
  
(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षाविभाग,कोटा

क्रमांक:उनिमाशि/को/डीपीसी-पुनरावलोकन/संस्था-3(20307)2018/406 दिनांक: 14.09.18  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक )कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली



उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षाविभाग,कोटा

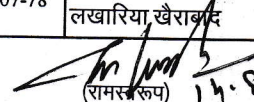
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 406

दिनांक 14.09.2018

विषय : गणित

| क्र.सं. | मण्डल वरि क्रमांक | अवधि    | डीपीसी चयन वर्ष | नाम अध्यापक        | वर्ग | वर्तमान पदस्थापन स्थान        | जिला  | जन्मतिथि | वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान | जिला |
|---------|-------------------|---------|-----------------|--------------------|------|-------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|------|
| 1       | 93.1              | 2012-13 | 2018-19         | प्रभुदयाल चक्रधारी |      | उप्रावि महोदरी नाथान किशनगंज  | बारां | 10-08-76 | राउमावि मंडिता, सांगोद              | कोटा |
| 2       | 600               | 2012-13 | 2018-19         | परमेन्द्र कुमावत   |      | राउप्रावि सालेड़ाकंला खैराबाद | कोटा  | 01-07-78 | राउमावि लखारिया खैराबाद             | कोटा |

  
(रामसरूप)  
14.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, कोटा

## कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति पुनरावलोकन की अभिशंभानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पदों पर संलग्न सूची में अध्यापकों को डीपीसी वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदों पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हें दिनांक 20.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिकों को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेंगे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जि.श.अ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।



(रामसर्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षाविभाग,कोटा

क्रमांक:उनिमाशि/को/डीपीसी-पुरावलोकन/संस्था-3(20307)2018/405 . दिनांक: 14.09.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक )कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली



उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षाविभाग,कोटा

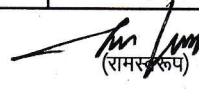
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 405

दिनांक 14.09.2018

विषय : विज्ञान

| क्र.सं. | मण्डल वरि क्रमांक | अवधि    | डीपीसी चयन वर्ष | नाम अध्यापक          | वर्ग | वर्तमान पदस्थापन स्थान         | जिला     | जन्मतिथि | वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान | जिला     |
|---------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1       | 783               | 2007-10 | 2018-19         | बह्म प्रकाश नागर     |      | उमावि छीपाबड़ोद                | बारां    | 04-08-82 | राउमावि कडैयाबन, छबड़ा              | बारां    |
| 2       | 661A              | 2012-13 | 2018-19         | प्रतिभा चौहान        |      | उप्रावि खातौली इटावा           | कोटा     | 22-10-84 | राबाउमावि खातौली, इटावा             | कोटा     |
| 3       | 1035              | 2012-13 | 2018-19         | मुकेश कुमार सोकरिया  |      | उप्रावि पाडलिया मनोहरस्थाना    | झालावाड़ | 15-06-88 | रामावि बोरदा, इटावा                 | कोटा     |
| 4       | 1463              | 2012-13 | 2018-19         | भगवान सिंह           |      | उप्रावि रावां छीपाबड़ोद        | बारां    | 01-08-86 | रामावि कडैयाछत्री, छबड़ा            | बारां    |
| 5       | 1471              | 2012-13 | 2018-19         | नरेन्द्र कुमार महावर |      | उप्रावि बरखेड़ी सुनेल झालावाड़ | झालावाड़ | 22-06-89 | राउमावि तितरखेड़ी, छबड़ा            | बारां    |
| 6       | 1476              | 2012-13 | 2018-19         | रतन सिंह             |      | उप्रावि करमाखेड़ी सुनेल        | झालावाड़ | 05-07-87 | रामावि कादर नगर, सुनेल              | झालावाड़ |
| 7       | 1486              | 2012-13 | 2018-19         | हंसराज वर्मा         |      | राउप्रावि केसरपुरा, सुनेल      | झालावाड़ | 04-06-83 | राउमावि फतेहगढ़, सुनेल              | झालावाड़ |

  
(रामसरूप) 14-8-18

उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, कोटा